7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1450-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-5-2001 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना - प्रकरण कमांक 25/2000-01 अपील

भॅगड़ा पुत्र ओंकार गूजर
ग्राम रूपनगर तहसील एंव
जिला श्योपुर कलॉ --अपीलांट

विरूद्ध

गिरधारी पुत्र शॅकर जाटव
ग्राम मसुन्दर का टपना
तहसील व जिला श्योपुर कलॉ ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(रिस्पाण्डेन्ट सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5-9.-2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पाण्डेन्ट को भूदान यज्ञ वोर्ड से ग्राम रूपनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 170 रकबा 1 वीघा 14 विसवा, सर्वे कमांक 171 रकबा 3 वीघा 5 विसवा, 172 रकबा 5 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पटटा प्राप्त हुआ था। इसी पटटे को निरस्त करने हेतु अपीलांट ने अपर कलेक्टर श्योपुर को आवेदन प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा राजस्व निरीक्षक श्योपुर से स्थल जॉच कराते हुये प्रतिवेदन प्राप्त किया । श्योपुर जिला बन जाने से प्रकरण कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में आने पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-11-2000 पारित किया तथा अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 25/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2001 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पाण्डेन्ट वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के बीच व्यवहार न्यायालय में वाद चल चुका है जिसमें प्रस्तुत राजीनामे को आदेश दिनांक 24-6-98 से अस्वीकार किया गया है । स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड भूमिस्वामी रिस्पाण्डेन्ट है क्योंकि वादग्रस्त

भूमि उसे भूदान यज्ञ बोर्ड से पटटे पर प्राप्त है एंव शासकीय अभिलेख में संबत 2037 अर्थात सन् 1980 में रिस्पाण्डेन्ट को भूदान भूमिस्वामी अंकित किया गया है। आज की स्थिति में रिस्पाण्डेन्ट को वादग्रस्त भूमि पर खेती करते 36 वर्ष से अधिक समय हो चुका है ऐसी स्थिति में रिस्पाण्डेन्ट की आजीविका चलाने वाली भूमि का पटटा अपीलांट के हितों के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पटटा निरस्त कराकर कब्जा करने की फिराक में होना दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में आई विवेचना से आभाषित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 25/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर